

समाहरणालय, कटिहार

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

निविदा सूचना संख्या-01/2021-22

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 1997/आ०प्र० दिनांक 18.05.2020 के आलोक में संभावित बाढ़ 2021 को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों के बीच सहाय्य अथवा राहत मुहैया कराने हेतु खाद्य सामग्रियों एवं अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए द्वि-पद्धति सिफारिश विधि से निम्नलिखित सामग्रियों के आपूर्ति करने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता/आपूर्तिकर्ता सीलबंद निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार में दिनांक/7-05-2021/के अपराह्न 5.00 बजे तक हस्तगत करा सकते हैं। प्राप्त निविदायें अगले दिन 18-5-2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता/आपूर्तिकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र०	सामग्री का नाम	साईज/किस्म/ब्राण्ड	अन्य विवरण
1	2	3	4
A	खाद्य सामग्री एवं सूखा राशन क्रय :-		
1	चावल	अरवा/उसना उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
2	आटा	अच्छे ब्राण्ड का	दर प्रति 5kg/10kg पैकेट में अंकित होगा।
3	चूड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
4	चना	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
5	गुड़	रावादार (गीला) एवं सूखा (चक्की)	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
6	मूड़ी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
7	दाल	अरहर, चना, मूँग (देशी) एवं मसूर	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
8	सरसों तेल	हाथी,मंगल,ईजन,रानी,अन्य ब्राण्ड धारा (1 litre/5kg/15kg)	दर प्रति 1 लीटर /5/15 किलोग्राम में अंकित होगा।
9	मसाला (ब्राण्ड) लोकल (खुला)	जीरा (खरा/पाउडर) हल्दी पाउडर, लाल मिर्च (खरा/पाउडर), धनियाँ पाउडर, गोल मिर्च (खरा/पाउडर), तेजपत्ता, गरम मसाला (खरा/पाउडर)	दर प्रति किग्रा० में ब्राण्ड का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगा एवं लोकल (खुला) दर प्रति किलोग्राम अंकित होगा।
10	आलू	-	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
11	प्याज	-	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
12	साग-सब्जी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
13	सोयाबड़ी	Protein content 48-50%	दर प्रति किग्रा० में अंकित होगा।
14	चना सत्तु	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
15	पावरोटी	400/200/150 ग्राम का पैकेट	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
16	बिस्कुट	75/250/400 ग्राम (उत्तम ब्राण्ड)	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
17	दुध पाउडर (6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए)	-	दर प्रति 500 ग्राम में अंकित होगा।
18	आयोडीन नमक	उत्तम ब्राण्ड का	दर प्रति किग्रा० में अंकित होगा।
19	चीनी	-	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।

B	सेनेटरी, थैला, बोरा इत्यादि :-		
20	सेनेटरी पेड/नैपकीन (महिला)	ब्राण्डेड/अच्छे किस्म का	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
21	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीट X चौड़ाई 1.5 फीट (अच्छे किस्म का)	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
22	Carry Bag (17 G.S.M.) बाँधने हेतु डोरी के साथ	5 किग्रा०, 3 किग्रा०, 1 किग्रा० एवं 500 ग्राम पैकिंग थैला (अलग-अलग)	प्रति पीस/प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
23	पैकेटिंग हेतु सिलाई धागा	उत्तम किस्म का	प्रति पीस-किग्रा० में
24	पैकेटिंग थैला 5 एवं 10 किग्रा० (नायलॉन/जूट)	उत्तम किस्म का	प्रति थैला/प्रति सैकड़ा
25	मार्किन कपड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति मीटर में।
26	खाली बोरा	अच्छे किस्म का (सीमेन्ट/जूट)	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
27	फुल ग्लब्स (दस्ताना)	उत्तम किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
28	हेड कैप	उत्तम किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
C	कीट :-		
29	कीट (नारियल तेल-50ग्राम, नहाने का साबुन-75ग्राम, कपड़ा धोने का साबुन-100ग्राम, कंघी छोटा, ऐनक छोटा, सर्फ-सैसे, शैम्पू-सैसे)	ब्राण्डेड (अच्छे किस्म का रखने हेतु पैकेट/बैग सहित)	दर प्रति कीट
30	सिनेटरी किट (6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए)	अच्छे किस्म का	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा। ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
D	पंडाल आदि भाड़े पर :-		
31	खाना बनाने का सभी प्रकार का बर्तन	-	प्रति दिन/प्रति माह
32	गैस सिलिंडर गैस सहित	बड़ा साइज का	प्रति नग
33	खाना बनाने का गैस भट्टी/चुल्हा	-	प्रति दिन/प्रति माह
34	जेनरेटर (ईंधन एवं ऑपरेटर रहित)	5 एवं 10 के०भी०ए०	प्रति दिन/प्रति माह
35	जेनरेटर (ईंधन एवं ऑपरेटर सहित)	5 एवं 10 के०भी०ए०	प्रति दिन/प्रति माह
36	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलने वाले लाईट	मरकरी, बल्व, सी०एफ०एल० बल्व, हैलोजेन एवं, पंखा इत्यादि	प्रति दिन/प्रति माह
37	पेट्रोमेक्स	-	प्रति दिन/प्रति माह
38	वाटर प्रूफ टेंट/पंडाल	तिरपाल, सूती एवं प्लास्टिक	प्रति दिन/प्रति माह
39	कुर्सी एवं टेबल	-	प्रति नग प्रतिदिन/प्रतिमाह
40	फुल माईक सेट (बैट्री एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति सेट	दर प्रति दिन/प्रति माह में अंकित होगा।
41	अतिरिक्त हॉर्न	प्रति पीस	दर प्रति दिन/प्रति माह में अंकित होगा।
42	अतिरिक्त एम्पलीफायर	प्रति पीस	दर प्रति दिन/प्रति माह में अंकित होगा।
43	अतिरिक्त साउण्ड बॉक्स	प्रति पीस	दर प्रति दिन/प्रति माह में अंकित होगा।

44	कॉडलेस माईक	प्रति पीस	दर प्रति दिन/प्रति माह में अंकित होगा।
45	अतिरिक्त माईक	प्रति पीस	दर प्रति दिन/प्रति माह में अंकित होगा।
46	दरी	सभी साईज का	प्रतिदिन/प्रतिमाह
47	चादर	सभी साईज का	प्रतिदिन/प्रतिमाह
48	तकिया	बड़ा	प्रतिदिन/प्रतिमाह
49	गद्दा (लोमक)	सभी साईज का	प्रतिदिन/प्रतिमाह

E वस्त्र क्रय :-

50	धोती	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
51	साड़ी	सुती 5.5मी० लम्बा एवं सेन्थेटिक 5.5 मी० लम्बा	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
52	गंजी	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
53	लूंगी	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
54	गमछा	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
55	ब्लाउज पीस	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
56	पेटीकोट (2 मीटर पीस)	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
57	पैन्ट (लड़की का)	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
58	फ्रॉक (लड़की का)	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
59	टी-शर्ट (लड़के का)	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
60	पैन्ट (लड़के का)	अच्छे किस्म का एवं साधारण	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
61	दरी	6'x4' एवं 7'x5'	प्रति 10 नग
62	घटाई	6'x4'	प्रति 10 नग

F बर्तन क्रय :-

63	थाली (बड़ा एवं छोटा)	स्टील/थर्मोकॉल एवं पत्तल	प्रति 10 नग / 100 नग एवं 100 नग
64	कटोरा (बड़ा एवं छोटा)	स्टील/थर्मोकॉल एवं पत्तल	प्रति 10 नग / 100 नग एवं 100 नग
65	ग्लास	स्टील एवं प्लास्टिक	प्रति 10 नग एवं प्रति 100 नग
66	लोटा	स्टील	प्रति 100 नग

G अन्य सामग्री क्रय :-

67	जलावन की लकड़ी (सूखी हुई)	-	दर प्रति क्वीटल में अंकित होगा।
68	मिनरल वाटर (20 लीटर जार)	उत्तम किस्म	दर प्रति जार अंकित होगा।
69	मिनरल वाटर (500 मिली०, 1 ली०, 2 लि०, 5 ली०)	उत्तम किस्म	दर प्रति बोतल अंकित होगा।
70	सर्फ	ब्राण्डेड	दर प्रति किग्रा०
71	दियासलाई (माचिस) मंझोला साईज	-	दर प्रति नग/पैकेट में
72	मोमबत्ती	22cm X 2.5cm अच्छे किस्म का	दर प्रति कार्टून (एक कार्टून में 50)
73	मच्छरदानी	सिंगल बेड (4'X6') एवं डबल बेड (5'X7') अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
74	सामग्री की माप हेतु प्लास्टिक बर्तन बाल्टी, मग, इत्यादि (100 ग्राम०, 250 ग्राम०, 500 ग्राम०, 1 किग्रा०, 2.50 किग्रा०)	उत्तम किस्म का	प्रति पीस

75	सुतली प्रति किलो	उत्तम किस्म का	प्रति किग्रा०
76	रबर बैंड	उत्तम किस्म का	प्रति किग्रा०
77	टार्च बैटरी सहित	फाईवर छोटा 3 सेल	प्रति पीस

निविदा की सामान्य शर्त :-

- कोई भी निविदा निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में रखते हुये पुनः उसे एक बड़े लिफाफा में रखकर लिफाफा को सीलबंद कर निबंधित टाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा जिन्हा आपदा प्रशासना, कटिहार में स्वयं उपस्थित होकर हस्तगत कराया जा सकता है।
- जिस निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का तकनीकी निविदा स्वीकृत होगा, उन्हीं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
- निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को 01 (एक) सप्ताह के अन्दर इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि को ही स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साइज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार समानों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे।
- सफल निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश के पश्चात् सामग्री की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार जिला/अंचल/प्रखंड मुख्यालयों तक आदेशानुसार पहुँचाना तथा शेष सामग्री को वापस किया जाना होगा, जिसके लिए कोई परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
- निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों से संबंधित उपलब्ध कराये गए विपत्रों का भुगतान आवंटन के उपलब्ध होने पर की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश भुगतान में विलम्ब की स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान (सूद) देय नहीं होगा।
- निविदादाताओं/आपूर्तिकर्ताओं के विपत्र भुगतान के समय नियमानुसार करों की श्रोत पर अग्रिम कटौती करते हुये की जायेगी।
- वित्तीय निविदा के पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर निविदादाता/आपूर्तिकर्ताओं के साथ Negotiation करते हुए न्यूनतम दर निर्धारित किया जा सकता है।
- निर्धारित न्यूनतम दर पर एक से अधिक सफल निविदादाताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ एकरारनामा तथा कार्य आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- बिना कोई कारण बताये निविदा में संशोधन करने, स्थगित करने अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
- निविदा के साथ संलग्न सभी कागजातों का सभी पृष्ठ निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वअभिप्रमाणित एवं पृष्ठांकित करना होगा।
- सामग्री आपूर्ति करने के समय लागू G.S.T. दर ही मान्य होगा।
- निविदादाता/आपूर्तिकर्ता, जिसका निविदा/दर को स्वीकृत किया जाता है, उन्हें एकरारनामा से पूर्व मो० 50,000/- (पचास हजार) रुपये सुरक्षित जमा के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी के रूप में देना होगा, जो जिला पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से विकलनीय होगा तथा जिसकी शर्त वित्तीय नियमावली के अनुरूप एवं बाध्यकारी होगा।
- निर्धारित समयसीमा के अन्दर कार्य निष्पादित/आपूर्ति नहीं करने पर सुरक्षित जमा राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा निविदादाता/आपूर्तिकर्ता पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है तथा अन्य निविदादाता/आपूर्तिकर्ता से निर्धारित न्यूनतम दर पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है।
- खाद्यान्न की शुद्धता एवं ताजगी अनिवार्य है। निविदा में आपूर्ति किये जानेवाले सामग्रियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना सील पैकेट में साथ लायेगें ताकि उनकी गुणवत्ता की जाँच की जा सके।
- स्वीकृत कि गई निविदा के निविदादाता/आपूर्तिकर्ता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे। भंडारण के लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- स्वीकृत किये गए नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर निविदादाता/आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।


19. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम एवं परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा व्यवहार न्यायालय, कटिहार के क्षेत्राधिकार में होगा।
21. भाड़े पर आपूर्ति किये जाने वाले किसी भी सामग्री के टूट-फूट/क्षतिग्रस्त/ होने के स्थिति में सामग्री का एवं कार्यरत कर्मियों के शारिरिक क्षति की सारी जवाबदेही निविदादाता/आपूर्तिकर्ता की होगी।
22. निविदा की जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार जिला से दूरभाष संख्या 06452-239011 पर सम्पर्क किया जा सकता है एवं विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट <http://katihar.nic.in> पर भी देखी जा सकती है।

निविदा की तकनीकी शर्त :-

1. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को अग्रधन राशि के रूप में मो० 50,000.00 (पचास हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं निविदा प्रकाशित होने के बाद की तिथि का बना हो तथा जिला पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-कटिहार में भुगतये हो, संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 (G.S.T.) के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अद्यतन विवरणी संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को आयकर विभाग के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित PAN का छायाप्रति तथा विगत 02 (दो) आकलन वर्षों (Assessment Years 2019-20 एवं 2020-21) का आयकर विवरणी संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का विगत पाँच आकलन वित्तीय वर्षों में कम से कम 02 आकलन वित्तीय वर्षों में (प्रति वित्तीय वर्ष) सकल विक्रय आवर्त राशि (TURN OVER) रुपये 50,00,000.00 (पचास लाख) मात्र से संबंधित साक्ष्य स्वरूप आयकर का Audit Report (Profit and Loss Account and Balance Sheet) संलग्न करना होगा, जो Chartered Accountant से Audited होगा।
5. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का प्रतिष्ठान/फर्म/कम्पनी/एजेन्सी किसी विभाग या सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, इससे संबंधित नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से निर्गत शपथपत्र मूल में संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को इस आशय का स्वघोषित शपथपत्र संलग्न करना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।
7. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को Food License Act में निबंधित होना चाहिए, जिससे संबंधित प्रमाण-पत्र का साक्ष्य संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को निविदा खोलने के समय आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का नमूना पारदर्शी थैली में सीलबंद कर, थैली पर निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का नाम, मोबाईल नंबर एवं पूरा पता सहित लिखकर क्रय समिति के समक्ष समर्पित करना होगा।

निविदा की वित्तीय शर्त :-

1. वित्तीय निविदा कम्प्यूटर टंकित होना अनिवार्य होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कटिंग या Over Handwriting मान्य नहीं होगा।
2. वित्तीय निविदा में सामग्रियों का दर सामग्रियों के क्रमानुसार सभी अनुमान्य कर तथा परिवहन व्यय सहित अंकित करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्रियों का दर रुपये में अंकित करना होगा। M.R.P. शब्द मात्र (राशि रहित) अथवा सांकेतिक दर अंकित करने पर उस सामग्री के दर पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. सामग्री पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (M.R.P.) राशि का सामग्री के अनुमोदित दर से कम रहने पर अधिकतम खुदरा मूल्य (M.R.P.) राशि के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।


 जिला पदाधिकारी,
 कटिहार।

23/10/2019
186

